an>

title: Need to provide appointment on compassionate ground to the widows of Martyrs of Defence forces.

कँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) ः हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं और इस सेवा भाव की चरम अवस्था में बहुत से सैनिक शहीद भी हुए हैं। उनके इस पुनीत कार्य का कभी भी कोई आर्थिक मोल नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी का प्रावधान है, जिससे वे अपना शेष जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत करते हैं।

अन्य संगठनों की तरह रक्षा एवं अर्ध सैनिक बलों में स्थानांतरण और पदोन्नति एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त शहीद सैनिकों के आश्रितों के संबंध में अधिक मानवीय और लचीला दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। अधिकतर मामलों में नौकरी प्राप्त आश्रित, महिला होती है, जो कि शहीद सैनिक की पत्नी होती है और उन पर छोटे बच्चों तथा वृद्ध एवं बीमार माता-पिता की जिम्मेदारी भी होती है। इस कारण महिलायें अपनी दोहरी भूमिका का निर्वहन करती हैं। परंतु जब इनका स्थानांतरण या पदोन्नति दूरस्थ क्षेत्रों में या मूल निवास से दूर कर दी जाती है तो इनके पूरे परिवार को बहुत असुविधा हो जाती है। छोटे-छोटे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। नई जगह पर उनको पुनः स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है और बीमारी से पीड़ित परिवार के वृद्ध सदस्य अपनी देखभाल स्वयं करने में असमर्थ हो जाते हैं।

देश के लिए शहादत का गौरव हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। अतः मेरा सरकार से यह निवेदन है कि शहीद सैनिकों के परिवार के आश्रित, जिनको अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्राप्त हुई हो, विशेष कर ऐसे आश्रित यदि महिला हो तो स्थानांतरण और पदोन्नति के समय इनके कार्यक्षेत्र को मूल निवास से निकटता और पारिवारिक दायित्व की स्थिति को भी एक मानक बनाया जाये, जिससे कि शहीद सैनिक का परिवार अनावश्यक कष्टों का सामना न करे और पूर्ण निष्ठा और देश के प्रति सेवा भाव के साथ नौकरी करते हुए शेष जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करे। यही शहीद सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।